

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

क्रमांक-48/S.W./F-33/2026

देवास, दिनांक-24.07.2026

:0: कार्य विभाजन संशोधन आदेश-(2) :0:

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) की अनुपस्थिति में अथवा अनुपलब्धता की दशा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अपराध संबंधी मामलों हेतु सत्र न्यायाधीश, देवास के स्थान पर उक्त अधिनियम अन्तर्गत प्रकरणों के संबंध में कार्यभार क्रमशः पंचम, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को तथा उनकी अनुपस्थिति की दशा में कार्यभार क्रमशः मुख्यालय देवास पर कार्यरत वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को सौंपा जाना है।

इसी प्रकार प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास की अनुपस्थिति अथवा अनुपलब्धता की दशा में उक्त न्यायालय स्थापना का अत्यावश्यक/दैनिक/नैमित्तिक न्यायिक एवं प्रशासकीय कार्य का प्रभार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के स्थान पर क्रमशः विशेष न्यायाधीश (SC & ST Act) देवास, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को तथा उनकी अनुपस्थिति की दशा में कार्यभार क्रमशः मुख्यालय देवास पर कार्यरत वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को सौंपा जाना है।

01. अतः कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 38/FN.-33/एस.डब्ल्यू./2026, दिनांक 13.05.2026 में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास एवं विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) की अनुपस्थिति में अथवा अनुपलब्धता की दशा में उक्त अधिनियम अन्तर्गत प्रकरणों सम्बंधी कार्यभार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के स्थान पर क्रमशः पंचम अपर सत्र न्यायाधीश/चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को तथा उनकी अनुपस्थिति की दशा में कार्यभार क्रमशः मुख्यालय देवास पर कार्यरत वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को सौंपा जाता है।

02. इसी प्रकार उक्त कार्य विभाजन आदेश के टिप्पणी लेख के क्रमांक 1 को संशोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास की अनुपस्थिति अथवा अनुपलब्धता की दशा में उक्त न्यायालय स्थापना का अत्यावश्यक/दैनिक/नैमित्तिक न्यायिक एवं प्रशासकीय कार्यों का प्रभार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के स्थान पर क्रमशः विशेष न्यायाधीश (SC & ST Act) देवास, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को तथा उनकी अनुपस्थिति की दशा में कार्यभार क्रमशः मुख्यालय देवास पर कार्यरत वरिष्ठतम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, देवास को सौंपा जाता है।

यह आदेश, कार्य विभाजन आदेश क्र०-38/S.W./F-33/2026 दि. 13.05.2026 का अंग रहेगा एवं तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

कृ.प.उ.-.../21

पृष्ठांकन क्रमांक-2967 / S.W./F-33/2026

देवास, दिनांक-24.07.2026

प्रतिलिपि:-

- 01- प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास
- 02- विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) देवास
- 03- प्रथम/पंचम/चतुर्थ/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)
की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 04- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायाधीश, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 05- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 06- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय, देवास की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित।


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)